

**बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग**

अधिसूचना

सं०सं०-9 / आ०-05-31 / 2023(स्वा०)...../

पटना, दिनांक:-.....

डॉ० आदित्य विक्रम, (कोटि क्रमांक-G4667/2025) चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, छपरा के विरुद्ध दिनांक-01.11.2020 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय संकल्प सं०-300(9) दिनांक-31.03.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच-प्रतिवेदन (अधिगम) में आरोप को प्रमाणित होने का मतव्य दिया गया। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक-1731(9) दिनांक-01.12.2023 द्वारा डॉ० विक्रम से लिखित अभ्यावेदन की माँग की गयी। जिसके अनुपालन में डॉ० विक्रम द्वारा प्रत्युत्तर विभाग में उपलब्ध कराया गया। डॉ० विक्रम द्वारा प्रत्युत्तर में अंकित किया गया कि वैश्विक महामारी के दौरान उनके माता-पिता का मृत्यु हो गया, वे दिनांक-17.04.2025 को एक महीने तक त्वचा संक्रमण का उपचार कराते रहे।

3. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामले की सम्यक् समीक्षा की गयी, समीक्षोपरान्त पाया गया कि डॉ० विक्रम बिना विभाग से अनुमति प्राप्त किए रायट बाहरा विश्वविद्यालय में एम०एस०सी० एम्ब्रियोलॉजी पाठ्यक्रम पूरा करने चले गये एवं वे दिनांक-03.08.2025 को NEET PG 2025 परीक्षा में शामिल हुए। साथ ही डॉ० विक्रम द्वारा प्रस्तुत चिकित्सीय अभिलेख के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि वे कभी अस्पताल में भर्ती नहीं रहे हैं, अपितु कर्तव्य से अनुपस्थित होकर शिक्षा प्राप्त किया। डॉ० विक्रम के द्वारा योगदान करने हेतु किये गये अनुरोध के आलोक में विभागीय आदेश सं०-754(2) दिनांक-10.04.2026 के द्वारा पूर्व के पदस्थापित स्थान सदर अस्पताल, छपरा में योगदान करने का निदेश दिया गया। फलतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(vi) के अधीन संचयी प्रभाव से 05 (पाँच) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक एवं अनुपस्थित अवधि दिनांक-01.11.2020 से 10.04.2026 तक को किसी भी प्रयोजन हेतु गणना न करने की शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

4. विभागीय पत्रांक-787(9) दिनांक-21.07.2026 द्वारा डॉ० विक्रम के विरुद्ध उक्त अधिरोपित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-1832 दिनांक-20.08.2026 द्वारा उक्त दण्ड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

5. अतएव डॉ० आदित्य विक्रम (कोटि क्रमांक-G4667 / 2025, सेवानिवृत्ति की तिथि-30.09.2051), चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, छपरा के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(vi) के अधीन संचयी प्रभाव से 05 (पाँच) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक एवं अनुपस्थित अवधि दिनांक-01.11.2020 से 10.04.2026 तक को किसी भी प्रयोजन हेतु गणना न करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

17/09/2026

ज्ञापांक-9/आ0-05-31/2023(स्वा0)/ पटना, दिनांक:-.....

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-9/आ0-05-31/2023(स्वा0) 1305(9A) /पटना, दिनांक:-18.09.26

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय अपर-निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ सारण प्रमंडल, छपरा/ सिविल सर्जन, सारण, छपरा/कोषागार पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 3, 7, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-डॉ० आदित्य विक्रम, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

औद्य
17/09/2026
सरकार के अवर सचिव।